कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/ /औद्यो./तक/04/206 भोपाल, दिनांक 22/1/2004

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषयः औद्योगिक पट्टों के संशोधन–पत्रों के फलस्वरूप हो रही स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के अपवंचन को रोकने बावत्।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2623/एक/तक/01, दिनांक 18.9.01,1290/एक/तक/02, दिनांक 14.1.02, 252/तक/03, दिनांक 5.2.03 एवं जिला पंजीयक मुख्यालय का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28.6.03

———

कृपया उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। इनके द्वारा आपसे अपने जिले में पिछले वर्षों में पंजीबद्ध पट्टों के संशोधन के सभी दस्तावेजों की सूची बनाकर जिला उद्योग केन्द्रों तथा ए.के.व्ही.एन. कार्यालयों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही ऐसे समस्त प्रकरणों जिनमें उक्त पट्टों की भूमि पर भवनों/फैक्ट्रियों का अंतरण पाये जाने पर इनसे संबंधित प्रकरण दर्ज कर फैक्ट्री/भवन के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने की कार्यवाही करने के निर्देशर दिये गये थे। उक्त पत्रों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आपके द्वारा जॉच किस प्रकार किया जाना है ?

आशा है, आपके द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गई होगी। कृपया आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र क्रमांक 1 एवं 2 में आवश्यक रूप से एक सप्ताह की अवधि में भेजें। साथ निपटारे हेतु लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण दिनांक 31.1.2004 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश